

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री राजेश कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवाडी खुर्द, बहरोड जिला अलवर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुगालिया जोधा जिला जालौर किया गया था जिसके विरुद्ध राजेश कुमार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 21495/2019 राजेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 21495/2019 में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी श्री राजेश कुमार के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश तक स्थगित कर दिये जाने के फलस्वरूप श्री राजेश कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवाडी खुर्द, अलवर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे। उक्त पदस्थापन याचिका संख्या 21495/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।

  
(हिमांशु गुप्ता) 6/10/19  
आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/राजेश कुमार/21495/2019 दिनांक 16.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर / जोधपुर संभाग, जयपुर/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर/जालौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, अलवर/जालौर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)